

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

1. AGRICULTURE

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "**Agriculture**" may be revised with effect from **1st April,2014.**

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled workers Rs. 170/- per day or Rs. 5100/- per month.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

- (i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**
Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare
copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

**2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS
OR BUILDING OPERATIONS,
STONE BREAKING & STONE CRUSHING**

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August, 2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
	Rupees	Rupees
UN-SKILLED WORKERS :		
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer	170.00	5100
Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/ Pipelinemen /Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker		
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distemplerer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well	187.00	5610

Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic
 Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick
 Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/
 Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/
 Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man
 /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy
 Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical
 Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5
 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head
 Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8
 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto
 Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt.
 Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry
 Attendant/Telephone Attendant.

Stone Breaker/Rock carrier Breaker/Stone
 Carrier 1½ inch to 2 inch Rs. 1279 cft
 1 to 1¼ inch Rs.1433 cft

SKILLED WORKERS :

	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith /	214.17	6425
Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman		

Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/
 E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel
 Operator/Snow Cutter Operator /Loco
 Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work
 Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone
 mechanic/D.G. Set Operator /Wireless
 Operator/Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED

	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic	274.50	8235
Grade-I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman		
Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator		
/Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter		
Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/		
Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller		
Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/		
Electrician/ Chemical Analyser.		

Clerical and non Technical Supervisory Staff

	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work	214-17	6425
Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/		
Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill		
Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint		
Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)		
Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store		
Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.		

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of

workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii).Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of **“Public Motor Transport”** may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **1st April,2014;**

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

General Staff Unskilled Rs.170 /- per day, Rs.5100/- per month

- (a) Peon , Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)

Workshop Mazdoor without having any experience

Rs. 170/- per day, Rs. 5100/- per month

Semiskilled

Rs.180.17 per day, Rs.5405/- per month

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asst. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt.Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring Rs. 206.52 per day or

wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Rs. 6196 per month.
 Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter,
 Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner,
 Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2
 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI
 certificate holder who are working in the same trade.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor Rs. 240.50 per day or Rs. 7215 per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Rs. 206.52 per day or
 Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Rs. 6196 per month.
 Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol
 Pump Attendant.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Rs.222.52 per day or
 Stenographer A Grade, Station Supervisor, Rs. 6676 per month,
 Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant,
 Cashier, Tyre Inspector.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier. Rs.281.25 per day or
 Rs. 8438 per month

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1.Driver	Rs.244.12	Rs. 7324
2.Conductor	Rs.213.60	Rs. 6408
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs.193.12	Rs. 5794
4.Part-Time Booking Clerk	Rs. 63.72	Rs. 1912

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under

Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.

7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv).Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervise efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
 - 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
 - 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
 - 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
 - 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
 - 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
 - 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
- W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile **Dated Shimla-2 28-05- 2014**

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April,2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing un skilled job.	Rs.170/-Daily Rs.5100 Monthly.	Rs 144.47/-Daily. Rs. 4334 Monthly.
Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter, Bearer), Assistant Radio	Rs.185.55 Daily. Rs. 5567 Monthly.	Rs. 159.12 Daily. Rs.4774 Monthly.

Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone Attendent, ITI Certificate Holder.

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/ Cinema Operator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/ Barber/Regular machine man/machinist/ Welder/Moulder/Cashier/ Clerk/(Matric) Munim /receptionist/ Waiter/ Bearer/) / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs.214.17 Daily.	Rs. 188.37 Daily
	Rs. 6425 Monthly.	Rs. 5651 Monthly.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs.227.12 Daily.	Rs. 202.40 daily
	Rs. 6814 Monthly.	Rs. 6072 Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

5. FORESTRY INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKEPRS	Rs.170.00	Rs.5100
1 Felling of trees:		
1.Lopper (Changi)	Rs.185.55	Rs.5567
2.Feller (Garani)	Rs.176.12	Rs.5284
2 Logging and sawing including timber passing:		
1.Dresser (Panchani)	Rs.176.12	Rs.5284
2.Sawyer (Charani)	Rs.240.50	Rs.7215
3.Blacksmith	Rs.219.40	Rs.6582
3 Carriage stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs.176.12	Rs.5284
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs.176.12	Rs.5284
4 Carriage of timber by Aerial ropeways :		
1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.240.50	Rs.7215
2.Span Mistry	Rs.219.40	Rs.6582
5 Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), Nullah Bhaan Darya Bahaan (River floting):		
1. Mohri-wala Mistry	Rs.265.15	Rs.7955
2. Taru	Rs.250.27	Rs.7508
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.227.12	Rs.6814
4. Darya-man	Rs.250.27	Rs.7508
5. Ghalu	Rs.197.17	Rs.5915
6. Jamadar	Rs.197.17	Rs.5915

6 Mechanised logging and timber extraction:

1.Surveyor	Rs.242.57	Rs.7277
2.Ski-line Operator	Rs.219.40	Rs.6582
3 Truck Driver	Rs.199.30	Rs.5979
4. Compressor Driver	Rs.199.30	Rs.5979

7 Clerical Staff:

1.Manager	Rs.295.12	Rs.8854
2.Accountant	Rs.203.97	Rs.6119
3.Munshi/ Typist clerk	Rs.176.12	Rs.5284

8 Saw Mill Workers:

1.Band Saw Mistry	Rs.219.40	Rs.6582
2.Supervisor	Rs.216.29	Rs.6489
3.Head Mistry	Rs.219.40	Rs.6582
4.Boiler Driver	Rs.219.40	Rs.6582
5.Assistant Mistry	Rs.180.17	Rs.5405
6.Planner Mistry	Rs.180.17	Rs.5405
7.Helper	Rs.176.12	Rs.5284
8.Cutter man	Rs.180.17	Rs.5405

9 Katha Extraction:

1.Feller and Chipper	Rs.176.12	Rs.5284
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.185.55	Rs.5567

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs.274.50. Daily.
Rs.8235 Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**
Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare
copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014**.as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 170.00 Daily. Rs. 5100.00. Monthly.
Semi Skilled Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller/Empular, Hageman. ITI Certificate Holder.	Rs. 178.47 Daily. Rs. 5354 Monthly.
Skilled Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 214.17 Daily. Rs. 6425 Monthly.
Highly Skilled Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman	Rs. 274.50 Daily. Rs. 8235 Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**
Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled

Rs. 170.00. Daily.
Rs.5100 Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.	Rs. 178.47 Daily. Rs.5354 Monthly.
--	---------------------------------------

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-I1, Liner Grade-II, Spray	Rs. 214.17 Daily. Rs.6425 Monthly
---	--------------------------------------

Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,	Rs. 274.50 Daily. Rs.8235 Monthly.
--	---------------------------------------

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper.	Rs. 190.02 Daily. Rs.5701 Monthly.
--	---------------------------------------

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power

Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

1.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
 - 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
 - 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
 - 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
 - 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
 - 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
 - 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
- W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

8. TEA PLANTATION

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hosing ,pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 170.00 Daily or Rs. 5100 Monthly.
A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 12.30 per kilogram extra as incentive.	
B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 9.20 per kilogram extra as incentive.	
C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 6.92 per kilogram extra as incentive.	
The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 12.30, Rs. 9.20 Rs. 6.92 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.	
SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations.	Rs.174.56 per day, Rs.5237/- per month
FACTORY: Include lift Mazdoor withering Mazdoor, relling room workers, shifting Mazdoor, fermenting room workers, tea boys , sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)	Rs. 170-00 daily Rs. 5100 Monthly.
PLANTATION: Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs etc. who maintain records of a field work and also includes sweeper, Mali & Mate.	Rs. 170-00 daily Rs. 5100 Monthly.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF**OFFICE STAFF:**

1. Accountant	Rs. 315.22	Rs.9457.00 per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 214.17	Rs.6425.00 per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 229.53	Rs.6886.00 per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs.174.57	Rs.5237.00 per month plus free benefit as admissible.
		Daily
5. Compounder		Rs.284.27
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs.244.12
7. Mechanic ,		Rs.287.40
8. Assistant Mechanic		Rs.242.57
9. Electrician-cum- Mechanic , Grade-I		Rs.287.40
10.Electrician-cum- Mechanic , Grade-II		Rs.242.57
		Monthly
		Rs.8528
		Rs.7324
		Rs.8622
		Rs.7277
		Rs.8622
		Rs.7277

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING
PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-
2 OF FACTORIES ACT, 1948**

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 170.00 per day or Rs. 5100 per month
Semi-skilled	Rs. 178.47 P.D. or Rs. 5354 per month
Skilled & clerical staff	Rs. 214.17 P.D. or Rs. 6425 per month
Highly-Skilled	Rs. 274.50 P.D. or Rs. 8235 per month

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity

with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August,2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 170-00 Daily Rs. 5100 Monthly	Rs 144.47 Daily Rs. 4334 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant	Rs. 185.55 Daily Rs. 5567 Monthly	Rs 160.11 Daily Rs. 4803 Monthly.

Barber/ Dhobi,
 Pressman/Boilerman/Film
 Rewinder/ Water Bearer /Assistant
 Radio Mechanic/ Painter/ White
 Washer/ Pakora and Chana
 Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant
 Store Keeper/Distributor and
 Assistant Machinman. Enquiry
 Attendant, Telephone Attendant. ITI
 certificate holder who are working in
 the other trade .

SKILLED WORKERS :

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/ Baker/Steward/Butler/Draughtsma n/TelephoneOperator/Receptionist/ Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rupees. Rs. 214.17 Daily Rs. 6425 Monthly.	Rupees. Rs. 188.37 Daily Rs. 5651 Monthly.
--	---	---

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rupees. Rs. 227.12 Daily Rs. 6814 Monthly.	Rupees. Rs. 201.46 Daily Rs. 6044 Monthly.
--	---	---

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although

familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 28-05-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No. Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2 28-05- 2014

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Education Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2014**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-MW-part, dated 30th August, 2012 and the meeting of the said Committee was held on 27-05-2014.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of Sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2014** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 170.00 per day or Rs. 5100 per month
Semi-skilled	Rs. 185.55 P.D. or Rs. 5567 per month
Skilled	Rs. 214.17 P.D. or Rs. 6425 per month
Highly skilled	Rs. 227.12 P.D. or Rs. 6814 per month

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed
- (iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the **28-05- 2014**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
 - 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
 - 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
 - 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
 - 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
 - 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
 - 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001
- W.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 28-05-2014 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

Deputy Secretary (Labour & Employment)
to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)-पार्ट फाईल

दिनांक :शिमला

28-05- 2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन में अकुशल कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

अकुशल कर्मकारों 170/- रुपये प्रतिदिन या 5100/- रुपये प्रतिमाह

नोट

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. प्रशिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क)के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: -

1.अकुशल कर्मचारी: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)-पार्ट फाईल

दिनांक :शिमला 28-05- 2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 गार्ड फाईल ।

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

**हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना**

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल

दिनांक : शिमला **28-05-2014**

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि सड़क और भवन किया निर्माण, पत्थर पिसाई/कशिंग/पत्थर तुडान के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य वर्ग के कर्मकारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
1.अकुशल कर्मकार:	2 रु. पै.	3 रु. पै.
<u>भिशाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टैम्परर ग्रेड- II /</u> गलैजियर /पलम्बर हैल्पर या-वर्कशाप/रॉक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमन के लिये स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर / रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर / मजदूर सर्वे बाँय/ वाचमैन /पीअॅन वाचमैन / टी बाँय / पीअॅन ड्रेसर्ज / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्परज / बाँय हैल्परज (0 से 5 साल) /खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	170.00 रु. पै.	5100.00 रु. पै.
2.अर्द्धकुशल कर्मकार:	रु. पै.	रु. पै.
कारपेन्टर ग्रेड-II/ मैसन ग्रेड-II / <u>स्यूअर</u> मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II / सैनिटरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/सड़क का स्प्रे-मैन / केन-मैन/बधाणी / अपहोल-स्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / केन-मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड-/फिटर ग्रेड-II फ्लोर-पालिशर / स्टोन ड्रेसर्ज /माली / बैल-सिंकर / वाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड- -II / पाइप फिटर ग्रेड-II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रेसर्ज (अर्हित/अनुभवी) /हैमरमैन/कुक / वल्कनाईजर/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रौली आपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस) मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल या अधिक) आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रेसर्ज / पम्प-एटैन्डेन्ट /आटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गाज-रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट /औटो इलैक्ट्रीशियन/ मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट, (आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक)	187.00	5610.00

स्टोन-ब्रेकर / राक ब्रेकर / स्टोन-कैरियर 1-1/2" से 2" रुपये 1279.00 घन फुट

3.कुशल कामगार	रु०. पै०	रु०. पै०
कारपेन्टर ग्रेड- 1/ मैसन ग्रेड- 1/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड- 1/अप-होलसल्टर ग्रेड- 1 / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन- ग्रेड.- 11 / जल आपूर्ति / फिटर/ कारपेन्टर-ग्रेड- 11 / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- 1/दर्जी या टेलर ग्रेड- -11 / क्रशर ड्राइवर/फिटर ग्रेड-11 / अलंकारिक कार्य के लिये स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड-11 / पाईप फिटर ग्रेड-1/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर /संरचनात्मक फिटर ग्रेड-11 / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कर्शिंग प्लांट फिटर / (बी.) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शोपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रिफिजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोच रिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर /सकेपर-आपरेटर /लोडर आपरेटर / केन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन डिलर आपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. केन आपरेटर/ (बी.) / प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या बैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन बैटरी चार्जर / लाइनमैन (लाईसैस सहित)/ सहायक लाइनमैन (लाईसैस सहित)/टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / बाइन्डर/ब्लासटर डिलर / बिन्च फिटर ग्लासटर/डिलर / कम्पाउन्डर(अनर्हित)/पेन्टर / मिलर /क्लाइमबर / मोल्डर /लेबलररज रसोसमिल कटर / कटर /केबल जवाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड-11 /खलासी (8 साल व अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कमप्रेसर/ लोको-आपरेटर / रौकर शावल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / गलेजड टाइपड कार्य के लिए मैसन /होल डिलर/ वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट. आपरेटर / वायरलैस आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-11	214.17	6425.00

4.उच्च कुशल मजदूर:-	रु०. पै०	रु०. पै०
केवल फर्नीचर के लिये कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- 1 / चार्ज मैन ग्रेड-1 / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-1 / टर्नर ग्रेड-1/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री /इलैक्ट्रिशियन/ संरचनात्मक फिटर ग्रेड-1 / सर्वेयर / ड्राफ्टस-मैन (सिविल) (मकैनिकल)/ सहायक फोरमैन / मकैनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुल-डोजर ड्राइवर/ड्राफ्टसमैन/ वायरमैन / आटो इलैक्ट्रीशियन/ इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर	274.50	8235.00

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपर वाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैरो-प्रिंटर / ड्राइवर (जीप , कार व ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर	214.17	6425.00
--	--------	---------

नोट

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2. प्रशिक्षुओं की मजदूरी-शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां विशिष्ट प्रवर्ग के लिए विहित समय दर उसी प्रवर्ग हेतु प्रदान की जाएगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से 20 (बीस) प्रतिशत की अधिक बढ़ोतरी अनुज्ञात की जाएगी ।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों में मजदूरी की न्यूनतम दर से 25 प्रतिशत की अधिक बढ़ोतरी लागू होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी 25 (पच्चीस) प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी । अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दर में 10 (दस) प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है । उस के कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निवर्हन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुनुदंशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें। वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल

दिनांक :शिमला **28-05-2014**

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 गार्ड फाईल ।

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

**हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना**

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल

दिनांक : शिमला

28-05- 2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि लोक मोटर परिवहन के अनुसूचित नियोजन में अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत न्यूनतम दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

:-

अकुशल जनरल स्टाफ:

	मासिक	दैनिक
	रु. पै.	रु. पै.
(क) चपरासी / चौकीदार / स्टोर-हैल्पर / स्वीपर / पोर्टर तथा दफ्तरी	5100.00	170.00
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल) वर्कशाप मजदूर जिसका कोई अनुभव नहीं	5100.00	170-00
अर्ध-कुशल	5405.00(मासिक)	180.17(दैनिक)

1. सहायक इलैक्ट्रीशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोल्केनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक
17. सहायक रिटीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आ.ई.टी. आई का डिप्लोमा हो या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो, जिसके पास आई0टी0आई0 का डिप्लोमा नहीं)
19. सहायक मोल्डर

कुशल:

मकैनिक/फिटर/इलैक्ट्रिशियन / ब्लैक स्मिथ / कारपेन्टर /
वैल्डर /बोरिंग-वायरमैन / मशीनिस्ट / कुशल मेकर टिनस्मिथ
/वालकेनाइजर / पेंटर / अपहोल्सटर सोर्टर/इलैक्ट्रिशियन/
मकैनिक /रिट्रीडर / मोल्डर । वर्कशॉप मजदूर (जिसके पास
आई.टी.आई.डिप्लोमा हो या दो वर्षोंका प्रोवेशन पीरियड हो
जिसके पास आईटीआईका डिप्लोमा नहीं हो। आईटीआई प्रमाण
धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।
उच्च कुशल

वर्कशाप स्टाफ हैड मकैनिक कारबोरेटर/ हैंड इलैक्ट्रीशियन /
गैरेज सुपर वाइजर इत्यादि

रु० 206.52 प्रति दिन
रु०.6196.00 प्रति माह

रु० 240.50 प्रति दिन
रु०. 7215..00 प्रति माह

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) इत्यादि

ग्रुप –ए :

आउट एजेंट / आउट एजेंसी क्लर्क / टाइपिस्ट / स्टैनो
टाइपिस्ट / स्टोर डे बुक राइटर / क्लर्क / सहायक कैशियर
/ बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर / पेट्रोल पम्प
अटैन्डेन्ट ।

रु० 206.52 प्रति दिन
रु०. 6196.00 प्रति माह

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक / स्वागतकर्ता / निरीक्षक / चैकर /
आशुलिपिक ए ग्रेड / स्टेशन सुपरवाइजर / सहायक स्टोरकीपर
ए ग्रेड / लेखाकार / कैशियर / टायर-निरीक्षक ।

रु०222.52 प्रति दिन
रु०. 6676.00 प्रति माह

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टेंट / मुख्य-लिपिक / ओडिटर / हैड-कैशियर ।

रु० 281.25 प्रति दिन
रु०. 8438.00 प्रति माह

रनिंग-स्टाफ:

1 ड्राइवर	रु० 244.12 प्रति दिन रु०.7324.00 प्रति माह
2 कन्डकटर	रु० 213.60 प्रति दिन रु०.6408.00 प्रति माह
3 कलीनर कम कन्डकटर	रु० 193.12 प्रति दिन रु०.5794.00 प्रति माह
4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क	रु० 63.72 प्रति दिन रु०.1912.00 प्रति माह

टिप्पण:-

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षु की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां कोई कार्य वर्ग मात्रानुपाती कार्य(पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, तो मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से 20 (बीस) प्रतिशत की अधिक बढ़ोतरी अनुज्ञात की जाएगी ।
6. जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों में मजदूरी की न्यूनतम दर से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी 25 (पचीस) प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी । अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दर में 10

(दस) प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निवर्हन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुनुदंशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक :शिमला 28-05-2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल

दिनांक : शिमला

28-05-2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि दुकान एवं वाणिज्य स्थापनों के व्यवसाय के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी की दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी 1

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां पर भोजन, चाय, उपलब्ध नहीं करवाई और संयुक्त आवास, सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ।

अकुशल

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मसेंजर / क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टटर/भिस्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।	170.00 प्रति दिन तथा 5100.00 प्रति माह	144.47 प्रतिदिन तथा 4334.00 प्रति माह
हैडपोर्टर/ पैटरीमैन / काफी टी-मेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा)सहायक लाइनमैन सहायक -आपरेटर/वाइंडर एसीस्टेंट/इलैक्ट्रीशियन बिल-कलेक्टर/कनवैसर कुक/एसिस्टेंट-हलवाई/ बुक-बाइंडर/स्टीचर/ रूलिंग-कटिंग/ औक्सनर/ माली/सीवरमैन/ होटल-गाइड / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक-इलैक्ट्रीशियन / सहायक-वैल्डर / सहायक-सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन / ब्वायलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर/वेटर वीयरर / ऐसिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / वाइट वॉशर / पकौड़ा एवं चना मेकर / कलर्क (दसवीं कक्षा से नीचे) सहायक स्टोर कीपर/ डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन/ इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट, 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक	185.55 प्रतिदिन तथा 5567.00 रु. प्रतिमाह 159.12 प्रतिदिन तथा 4774.00रु. प्रतिमाह	

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर 214.17 रु. प्रतिदिन 188.37 रु. प्रतिदिन
/ रेडियो मकैनिक / पलम्बर / 6425.00रु. प्रतिमाह 5651.00रु. प्रतिमाह
कारपेंटर / ड्राइवर / सहायक
टेलर/कटर(टेलरिंग)/ हलवाई /
जनरल मकैनिक/ कुक/ कन्फैक्शनर /
बेकर/ स्अवार्ड / बटलर/फिटर /
ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर /
कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर
/ शाल एवं कारपेट वीविंग /
कम्पोजेटर / सिनेमा आपरेटर /
सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / डायर /
वारबर / रेगूलर मशीनमैन / मशीनिस्ट
/ वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/
क्लर्क(मैट्रिकुलेट) मुनीम /
रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वियरर
स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वीयरर
(वेस्टरन स्टाइल होटल) । लाइनमैन
आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक जो इसी
ट्रेड में काय कर रहे हों ।

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / 227.12 रु. प्रतिदिन 202.40रु. प्रतिदिन
लेखाकार / मुख्य खजानची / 6814.00 रु. प्रतिमाह 6072.00 रु प्रतिमाह
हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर
/ हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक /
इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन /
सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग)

नोट

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. प्रशिक्षु की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अधीन विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क)के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की वढोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

(1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

(2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा नहीं है अपितु उसे समुदुदशित कर्तव्यों या उसके सापेक्ष अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है जहां महत्वपूर्ण

निर्णय अन्य द्वारा किया जाता है । इस प्रकार उसका कार्यक्षेत्र सीमित रोजमरा के कार्योंके करने तक ही सीमित रहेगा ।

(3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।

(4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक :शिमला **28-05- 2014**

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल

दिनांक : शिमला **28-05-2014**

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि फोरेस्ट्री एवं टिम्बरिंग के अनुसूचित नियोजन में अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
1 अकुशल	रु.	रु.
वृक्षों का गिराना	170.00	5100.00
लोपर (छांगी)	185.55	5567.00
फैलर्ज (गिरानी)	176.12	5284.00
2 लागिंग एण्ड स्वाइंग टिम्बर पासिंग सहित	रु.	रु.
ड्रैसर (पंचानी)	176.12	5284.00
सायर (चिरानी)	240.50	7215.00
ब्लैकस्मिथ	219.40	6582.00
3 कैरेज स्टेकिंग एण्ड टिम्बर पासिंग बाई मैनुअल लेबर :		
मजदूर फॉर कैरेज	176.12	5284.00
मजदूर कुली लोडिंग / अनलोडिंग ऑफ टिम्बर	176.12	5284.00
4 कैरेज ऑफ टिम्बर बाई एरियल रोप वेज :		
स्पैन मिस्ट्री कम सुपरवाइजर	240.50	7215.00
स्पैन मिस्ट्री	219.40	6582.00
5 कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) हाई स्लाइड :		
(पत्थरू) नल्हावाहन (दरिया वाहन) रीवर फ्लोटिंग		
मोहरी वाला मिस्ट्री	265.15	7955.00
तारू	250.27	7508.00
एसिसटेंट मिस्ट्री (हेल्पर)	227.12	6814.00
दरियामैन	250.27	7508.00
घालू	197.17	5915.00
जमादार	197.17	5915.00
6 मकैनाइज्ड लोगिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैक्शन:		
सर्वेयर	242.57	7277.00
स्काई लाइन आपरेटर	219.40	6582.00
ट्रक ड्राइवर	199.30	5979.00
कम्प्रेसर ड्राइवर	199.30	5979.00
7 क्लैरिकल स्टाफ :		
मैनेजर	295.12	8854.00
एकाउन्टेंट	203.97	6119.00
मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	176.12	5284.00
8 सॉ मिल वर्कर :		

1.बैड सॉ मिस्त्री	219.40	6582.00
2.सुपरवाइजर	216.29	6489.00
3.हैड मिस्त्री	219.40	6582.00
4.वायल ड्राइवर	219.40	6582.00
5.एसिसटेंट मिस्त्री	180.17	5405.00
6.पलेनर मिस्त्री	180.17	5405.00
7.हैल्पर	176.12	5284.00
8.कटर मैन	180.17	5405.00
		5284.00
9 कत्था एक्सट्रैक्शन :		
फैलर तथा चिपर	176.12	5284.00
कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रोसेसर	185.55	5567.00

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट प्रथम श्रेणी

ओवरसियर/हैडफोरमैन

274.50

8235.00

टिप्पणः

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. प्रशिक्षु की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क)के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की वढोतरी देय होगी।

अकुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

(1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए।

(2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा नहीं है अपितु उसे समुदुदशित कर्तव्यों या उसके सापेक्ष अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उसका कार्यक्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित रहेगा।

(3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें। वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

**हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना**

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल

दिनांक : शिमला 28-05-2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि रसायन और रसायनिक उत्पादों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित मजदूरी

अकुशल कर्मकार

प्रतिदिन प्रतिमास
170.00 5100.00

अर्धकुशल कर्मकार

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन / एसिसटेंट फिटर / एसिसटेंट टर्नर/एसिसटेंट वैल्डर / एसिसटेंट मोल्डर / एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर / एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ / एसिसटेंट-कापरमैन / / री-इरीगेशन एसिसटेंट / जमादार / ईस्ट मैन / ईस्ट-कलटीवेटर / स्विच बोर्ड अटेंडेंट / वायरमैन / पोस्टलटमैन / फायरमैन/ आयलमैन / पम्पमैन ग्रेड-। / मशीन लेवलर / लटमैन/ टायरमैन/ सलैक्टर / कटर कम मार्किट सैलर अम्पुलर / हैगमैन । आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक

178.47 5354.00

कुशल कर्मकार

साल्टमैन / इलैक्ट्रीशियन / फिटर / कापरमैन / टर्नर / मोल्डर / ब्लैकस्मिथ / प्लांट आपरेटर मैसन / कारपेंटर / एसिसटेंट-फोरमैन / हैड-जमादार / बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-।।/ वर्कशाप फोरमैन / इलैक्ट्रीशियन फोरमैन / ईजन ड्राइवर / ड्राफ्टसमैन / एसिस्टेंट-कैमिस्ट / मशीनमैन / कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक) / सेल्ज मैन / स्वागतकर्ता / टाइपिस्ट / स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

214.17 6425.00

उच्च-कुशल कर्मकार

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी) /ओवर सीयर/हैड फोरमैन ।

274.50 8235.00

टिप्पणः

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. प्रशिक्षु की मजदूरी शिक्खू अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क)के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर (टाईम रेट) से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की वढोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा नहीं है अपितु उसे समुदुदशित कर्तव्यों या उसके सापेक्ष अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता है । इस प्रकार उसका कार्यक्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्योंके करने तक ही सीमित रहेगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)—पार्ट फाईल दिनांक :शिमला 28-05- 2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक :शिमला 28-05-2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि इंजीनियरिंग उद्योग के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

कर्मकारों का वर्ग

संशोधित

न्यूनतम मजदूरी

प्रतिदिन प्रतिमास

170.00 5100.00

अकुशल

अर्द्ध-कुशल

टेपर ग्रेड-॥/ टर्नर ग्रेड- ॥ / ड्रीलर ग्रेड- ॥॥ /रोमर ग्रेड- ॥ 178.47 5
 / शोपर मैन ग्रेड- ॥॥ / मशीनमैन,मशीनिस्ट/ आपरेटर 3
 ग्रेड-॥/ब्रजर ग्रेड- ॥॥ / हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड- ॥ 5
 / प्रैस आपरेटर ग्रेड- ॥॥ / स्प्रे पेंटर ग्रेड- ॥॥ / ट्रांसफर फिक्सर 4.
 ग्रेड- ॥॥/ असैम्बलर ग्रेड- ॥॥ /कोबलर / रबर रोजिन कटर / 0
 टेलर ग्रेड- ॥॥ / मैटिरियल चैकर / फिटर फेम /नम्बरिंग मैन / 0
 फेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड- ॥॥ / मोपर ग्रेड- ॥॥ /ग्राइडर
 ग्रेड- ॥॥ / पिकलर / पालिशमैन / बूफरमैन / हैड-मकैनिक
 आपरेटर ग्रेड- ॥॥ / थ्रैड रोलर आपरेटर ग्रेड- ॥॥ / बुक स्क्यू
 मशीन आपरेटर ग्रेड- ॥॥ / फीडर ग्रेड- ॥॥ / डाइमेकर ग्रेड- ॥॥
 / बैल्डर ग्रेड- ॥॥ / टिनस्मिथ ग्रेड- ॥॥ / पाइपरीडर/ हेमरमेन
 ग्रेड- ॥॥ / इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- ॥॥ /बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड-
 ॥॥ / लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड ॥॥ / आयलमैन

कुशल: टेपर ग्रेड- ॥ /टर्नर ग्रेड- ॥ / ड्रिलर ग्रेड-॥/ शोपर
 ग्रेड-॥ शोपर मैन ग्रेड- ॥ /स्लाटरमैन ग्रेड- ॥ / 214.17
 मकैनिस्ट/आपरेटर/ब्रजर ग्रेड- ॥ /लाईनर ग्रेड-॥/स्प्रे पैन्टर
 ग्रेड-॥/ ट्रांसफर मिकसर ग्रेड-॥/प्रैस आपरेटर-ग्रेड- ॥
 /हैल्पर/असैम्बलर ग्रेड-॥ /टेलर ग्रेड- ॥ /इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड-
 ॥ / मोपर ग्रेड- ॥ /ग्राइडर ग्रेड- ॥ / हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-
 ॥ /थ्रैड एंव रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-॥/बुक स्कर्यू मशीन 6
 आपरेटर ग्रेड- ॥ / गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड- ॥ / फीटर 4
 ग्रेड- ॥ /कारपेंटर ग्रेड- ॥/ पैटरन मेकर ग्रेड- ॥ / डाईमेकर 2
 ग्रेड - ॥ / साइस्टर ग्रेड- ॥- कारपेंटर ग्रेड- ॥ / वैल्डर ग्रेड- 5.
 ॥ / टिनस्मिथ ग्रेड- ॥ / हैम्बरमैन ग्रेड-।/ ब्लैकस्मिथ ग्रेड- ॥ 0
 / टूलसैटर ग्रेड- ॥ / ईलैक्टरीकल लाईनमैन ग्रेड- ॥ / 0
 ईलेक्ट्रीशन ग्रेड- ॥/वाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड-॥ /आरमैचर वाईडर
 एंव क्वाईल वाईडर ग्रेड- ॥ / केबल ज्वाईटर ग्रेड- ॥ /वाऊचन
 इन्सपैक्टर ग्रेड-॥/लिस्टर डीजल ईन्जन ड्राइवर ग्रेड- ॥ / मोल्डर
 ग्रेड- ॥ /सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक जो अन्य
 ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च-कुशल कर्मकार:-

274.50 8235.

टर्नर ग्रेड- ।/ग्राइडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-। /शोपर मैन ग्रेड- । /
 सलाटरमैन ग्रेड-।/ मिलर ग्रेड-। / ईलैक्ट्रो पलेटर ग्रेड-। /
 गोल्ड ड्राई मशीन आपरेटर ग्रेड-।/फिटर ग्रेड-।/ कारपेंटर/पैटरन
 मेकर ग्रेड-।/डाईमेकर ग्रेड-।/एन्ग्रेवर ग्रेड-।/ ब्लैकस्मिथ
 ग्रेड-।/वाऊचर इन्सपैक्टर/मोल्डर/डाईसैटर ग्रेड-। /टूल
 सैटर-ग्रेड-।/इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-।/शोपरमैन ग्रेड-।

0
0

टिप्पण:

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. प्रशिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों, समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से 20 (बीस) प्रतिशत की अधिक बढ़ोतरी देय होगी ।
6. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में स्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की दरों के अतिरिक्त 25 (पचीस) प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी । अनुसूचित क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दर में 10% दस प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा नहीं है अपितु उसे समुदुदशित कर्तव्यों या उसके सापेक्ष अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता है । इस प्रकार उसका कार्यक्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित रहेगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/—

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक :शिमला 28-05-2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

**हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना**

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक : शिमला

28-05- 2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि चाय बागान (टी प्लांटेशन) के अनुसूचित नियोजन में अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित
न्यूनतम मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार इसमें पौधारोपण,उखाडनें स्प्रे करने, खाद देने, विनिर्माण,छायावरण के लिए या अन्यथा कांट -छांट प्रतिदिन करने,गुडाई करने, खरपतवार निकालने तुडाई आदि के कार्य में

प्रतिदिन
प्रतिमाह

170.00 5100.00

नियोजित अप्रशिक्षित मजदूर सभी आएंगे ।

ए-ग्रेड पतियां तोडने वाले का वेतन—12 किलोग्राम से अधिक प्रतिदिन यदि कोई प्लकर चाय की पतियां तोडता है तो उसे रू0 12.30 प्रतिकिलो से अतिरिक्त वेतन मिलेगा ।

बी ग्रेड पतियां—यदि पतियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 13 किलोग्राम से अधिक पतियां तोडता है तो उसे रू0 9.20 प्रतिकिलो से अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा ।

सी ग्रेड पतियां—यदि पतियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक पतियां तोडता है तो उसे रू0 6.92 प्रतिकिलो से अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा ।

पतियां तोडने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकार का कमशः चाय पतियों के -'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए रू0 12.30 ,रू0 9.20 व रू0 6.92 प्रति किलो की दर से मिलेगे ।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौध रोपण में लगाये गए कर्मकारों को 174.56 रू0 प्रतिदिन, 5237.00 रू0 प्रतिमाह मिलेंगे ।

कारखाना :

इसमें अटारी मजदूर,पतियों को सुखाने वाला मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर स्थानांतरित करने वाला मजदूर,खमीर उत्पादन करने वाले कमरे में काम करने वाले मजदूर,टी ब्वाएज,सार्टज,टी-मेकज,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं । 170.00 प्रतिदिन व रू05100 प्रतिमाह

प्लांटेशन :

क्लीनर,सहायक क्लीनर,बगीचा सहायक,मोहरज इत्यादि जो खेत के काम का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट शामिल होंगे ।

व्यस्क-दैनिक रू0 170.00 मासिक रू0 5100.00

वलैरिकल एवं नान -टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

1. लेखाकार	315.22 रूपये प्रतिदिन	9457.00 प्रतिमास (फिक्सड)	इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास
2. लिपिक	214.17 रूपये प्रतिदिन	6425 .00 प्रतिमास	तथा मुफ्त आवास
3. मुन्शी	229.53 रूपये प्रतिदिन	6886.00 प्रतिमास	तथा मुफ्त आवास
4. चपडासी / चौकीदार / चौधरी	174.57 रूपये प्रतिदिन	5237.00 प्रतिमास	तथा मुफ्त आवास
		प्रतिमास	प्रतिदिन
5. कम्पाउन्डर		8528.00	284.27
6. ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)		7324.00	244.12
7. मकैनिक		8622.00	287.40

8.	एसिसटैन्ट मकैनिक	7277.00	242.57
9.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -1	8622.00	287.40
10.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -11	7277.00	242.57

टिप्पणः

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. प्रशिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहाँ विशिष्ट प्रवर्ग के लिए विहित समय दर उसी प्रवर्ग हेतु प्रदान की जाएगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों, समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

(1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए।

(2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा नहीं है अपितु उसे समुदुदशित कर्तव्यों या उसके सापेक्ष अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उसका कार्यक्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)-पार्ट फाईल दिनांक :शिमला

28-05- 2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक: शिमला-2 28-05-2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण क्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य वर्गों के कर्मकारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

अकुशल	170.00 रु0 प्रतिदिन	या 5100.00रु0 प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	178.47	या 5354.00रु प्रतिमाह
कुशल एवं लिपिकिय कर्मकार वर्ग	214.17	या 6425.00रु प्रतिमाह
उच्च कुशल	274.50	या 8235.00रु प्रतिमाह

टिप्पणः

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. प्रशिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहाँ विशिष्ट प्रवर्ग के लिए विहित समय दर उसी प्रवर्ग हेतु प्रदान की जाएगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों, समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की दर से 25 प्रतिशत अधिक लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

(1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।

(2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा नहीं है अपितु उसे समुदुदशित कर्तव्यों या उसके सापेक्ष अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता है । इस प्रकार उसका कार्यक्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित रहेगा ।

(3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।

(4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचलप्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)—पार्ट फाईल

दिनांक :शिमला

28-05- 2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक :शिमला

28-05- 2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि होटल/रैस्टोरेंट के अनुसूचित नियोजन में अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहांकोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां आवास,खाना,चाय आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है	संयुक्त
--	---	---------

अकुशल:

हैल्पर/ चौकीदार / चपडासी /स्वीपर /मसालची /गेटमैन / वाटरमैन / मसंजर / क्लाकरूम अटैंडेंट / पोटर/भिस्ति / वेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या अन्य कामगार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।	170.00 प्रतिदिन 5100.00 प्रतिमाह	144.47 रू0 प्रतिदिन 4334.00 रू0 प्रतिमाह
---	--	--

अर्ध कुशल :

पैटरीमैन / काफी टी मेकर / चपातीमैन /सहायक बेकर / कुक/ सहायक हलवाई / बुक वाइंडर / सटिचर / रूलिंग / कटिंग / आउक्सजर / माली / होटल गाईड / सहायक मिस्त्री / सहायक फिटर / सीवरमैन /सहायक टर्नर/सहायक बैल्डर/ सहायक ईलैक्ट्रीशियन सेल्जमैन / सहायक वारबर / घोबी / प्रैसमैन / वायलरमैन /फिल्म निवाइंडर / सहायक रेडियो मकैनिक/ वेटर/वेटर/ वीयरर/ पकौडा एवं चना मेकर / कलर्क (दसवीं कक्षा से नीचे)/ डिस्ट्रीव्यूटर सहायक मशीनमैन /वाइट-वाशर / इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।	185.55 प्रतिदिन 5567.00 प्रतिमाह	160.11 प्रतिदिन 4803.00 रू0 प्रतिमाह
---	---	--

कुशल:

ड्राइवर / हलवाई / कुक कन्फैक्शनर /	214.17	रु० प्रतिदिन	188.37	रु० प्रतिदिन
बेकर स्टीवरड / बटलर ड्राफ्टसमैन /	6425.00	रु० प्रतिमाह	5651.00	रु० प्रतिमाह
टेलीफोन ओपरेटर / रिसैपशनिस्ट /				
वेटर वियरर स्टोर कीपर / हैड वेटर				
/ हैड वीयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)				
आई०टी०आई० प्रमाण धारक जो उसी ट्रेड				
में कार्यरत है ।				

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) /	227.12	रु. प्रतिदिन	201.46	रु. प्रतिदिन
लेखाकार / मुख्य खजानची / हैड-कुक	6814.00	रु. प्रतिमाह	6044.00	रु प्रतिमाह
/ हैड-बटलर / हैड-बेकर /				
हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक /				
इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन /				
सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।				

टिप्पण:

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. प्रशिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां उस प्रवर्ग के लिए विहित मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कामकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हो समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की दर से 25 प्रतिशत अधिक लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निवर्हन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुनुदंशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें। वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल

दिनांक :शिमला 28-05- 2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक : शिमला 28-05-2014

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन में अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2014 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-एम डब्ल्यू पार्ट तारीख 30 अगस्त 2012 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-5-2014 को हुई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2014 से निम्न प्रकार से संशोधित करती है:-

अकुशल	170.00 रु0 प्रतिदिन	या 5100.00 रु0 प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	185.55 रु0 प्रतिदिन	5567.00 रु0 प्रतिमाह
कुशल	214.17 रु0 प्रतिदिन	6425.00 रु0 प्रतिमाह
उच्च कुशल	227.12 रु0 प्रतिदिन	6814.00 रु0 प्रतिमाह

टिप्पणः

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. प्रशिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहाँ विशिष्ट प्रवर्ग के लिए विहित समय दर उसी प्रवर्ग हेतु प्रदान की जाएगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग के लिए जो उसी प्रकार की कुशलता रखते हों, समरूप प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की दर से 25 प्रतिशत अधिक लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

(1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।

(2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निर्वहन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुनुदंशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।

(3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।

(4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल दिनांक :शिमला 28-05- 2014

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4
- 6 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र दिनांक 2014 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 9 गार्ड फाईल

उप सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार